भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. ईसीआई/प्रे.नो/75/2018 दिनांक : 7 नवंबर, 2018

प्रेस नोट

विषय : आयोग ने विचार-विमर्श करने हेतु श्री सुदीप जैन, उप-निर्वाचन आयुक्त, के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल को मिजोरम भेजा।

भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी मिजोरम विधान सभा निर्वाचनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के एक दल को प्रतिनियुक्त किया था। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 नवंबर, 2018 को आइजोल में सेंट्रल वाईएमए, मिजोरम सीनियर सिटिजन एसोशिएशन, मिजोरम वुमेन फेडरेशन, मिजो स्टूडेंट एसोशिएशन तथा मिजो स्टूडेंट यूनियन एवं मिजोरम चर्च लीडर्स कमिटी को शामिल करते हुए, अखिल एनजीओ समन्वय समिति के नेताओं एवं प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की । बैठकों का आयोजन अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल में किया गया था जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई जिसके पश्चात् श्री वनलालरूआता, श्री एल. रामदिनलियाना रेन्थलेई, श्री तनलालीआना खेंगते, श्री आर.के.थांगा, सुश्री साईपुई एवं श्री लाल्हमाच्युआना द्वारा हस्ताक्षरित एनजीओ समन्वय समिति के एक संयुक्त संकल्प को 7 नवंबर, 2018 को ईसीआई को प्रस्तुत किया गया।

आयोग, अत्यंत शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए मिजोरम के लोगों की गौरवशाली परंपरा की हमेशा सराहना करता है। इस मामले की तात्कालिकता पर विचार करते हुए, इस आपसी समझ को और अधिक मजबूत करने के लिए आज, दिनांक 7 नवंबर, 2018 को पूरे आयोग की बैठक आयोजित की गई। संकल्प पर सम्यक विचार-विमर्श करने के पश्चात्, अखिल एनजीओ, मिजोरम द्वारा पारित संकल्प की विस्तृत रूप-रेखा को स्वीकार करते हुए, आयोग ने अखिल एनजीओ मिजोरम के प्रतिनिधियों के साथ 9 नवंबर, 2018 को आइजोल में उनके संकल्प पर और अधिक चर्चा करने के लिए उप निर्वाचन आयुक्त, श्री सुदीप जैन, मिजोरम के प्रभारी, के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय ईसीआई दल को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया। इस दल के अन्य सदस्यों में श्री लालबियकथांगा खियांग्ते, मुख्य निर्वाचन अधिकारी झारखण्ड,

श्री एस.बी.जोशी, सचिव, ईसीआई और श्री लालजरमावी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिजोरम शामिल होंगे।

आयोग ने कोलासिब में कल हुई उग्र घटना पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग आशा करता है कि मिजोरम में शांतिपूर्ण समाज के लोकाचार और परंपरा के अनुरूप, सभी हितधारक ईमानदारी से एक साथ कार्य करेंगे ताकि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो और हमेशा की तरह अधिकतम भागीदारी के साथ शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन आयोजित किए जा सकें।

(पवन दीवान)
अवर सचिव